KGS IAS

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

Most Trusted Learning Platform

CURRENT AFFAIRS DISCUSSION

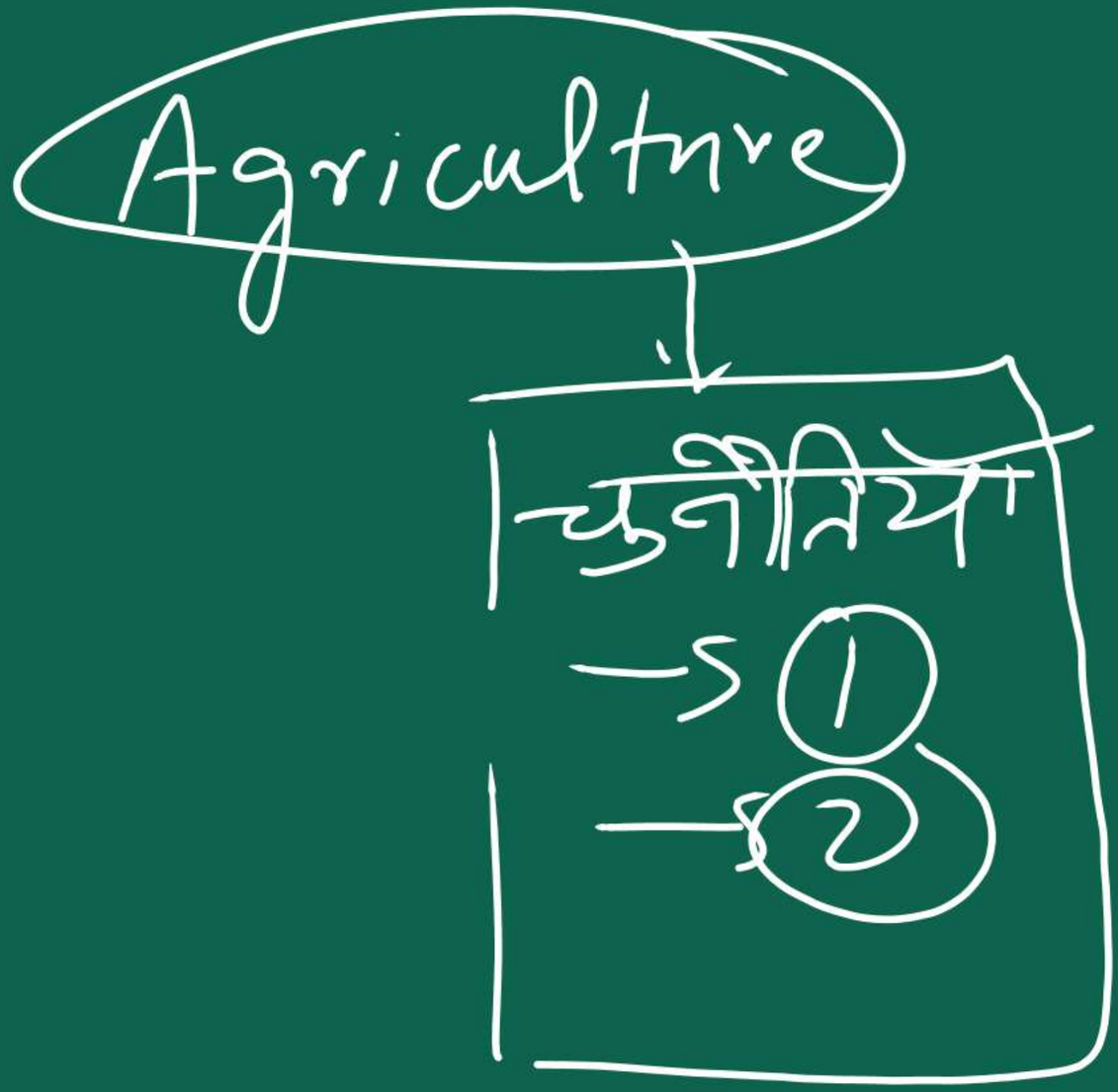
Agriculture
चुनौतियां
1
2

- समान नागरिक संहिता
- नीली अर्थव्यवस्था 2.0
- स्वदेशी CAR-T थेरेपी
- रामसर स्थलों में पाँच आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गईं
- समाचार में प्रजातियाँ: डस्टेड अपोलो
- पेटीएम पेमेंट बैंक
- हम्बोल्ट की पहेली
- कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट

❖ Uniform Civil Code

❑ What is the Uniform Civil Code?

- The Uniform Civil Code (UCC) aims to enforce a uniform legal framework to all citizens, irrespective of their religion.
- Right now, matters including marriage, divorce and succession are governed by religion-based personal laws.
- UCC is part of Part IV of the Constitution which includes the Directive Principles of State Policy (DPSP).
- Article 44 in DPSP states that "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India"

❖ समान नागरिक संहिता

❑ समान नागरिक संहिता क्या है?

- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा लागू करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
- अभी, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार सहित मामले धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- यूसीसी संविधान के भाग IV का हिस्सा है जिसमें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी) शामिल हैं।
- डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा"

❖ Constituent Assembly Debates:

- Mohammad Ismail Khan suggested an addition to the Present day article 44: Provided that any group, section, or community of people shall not be obliged to give up its own personal law in case it has such a law."

❑ Why he said so?

- A secular state should not interfere with long-standing religious practices as it could breed discontent and subvert harmony in the country.
- B Pocker Sahib Bahadur also spoke in favour of the amendment forwarded by Ismail, saying, "If such a body as this (Constituent Assembly) interferes with the religious rights and practices, it will be tyrannous."

❖ संविधान सभा की बहस चली:

- मोहम्मद इस्माइल खान ने वर्तमान अनुच्छेद 44 को जोड़ने का सुझाव दिया: बशर्ते कि किसी भी समूह, वर्ग या लोगों का समुदाय अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानून को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे यदि उनके पास ऐसा कोई कानून है।

❑ उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को लंबे समय से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि यह देश में असंतोष पैदा कर सकता है और सद्भाव को बिगाड़ सकता है।
- बी पोकर साहिब बहादुर ने भी इस्माइल द्वारा आगे बढ़ाए गए संशोधन के पक्ष में बात करते हुए कहा, "अगर यह (संविधान सभा) जैसी कोई संस्था धार्मिक अधिकारों और प्रथाओं में हस्तक्षेप करती है, तो यह तानाशाही होगा।"

❖ Naziruddin Ahmad:

- Provided that the personal law of any community which has been guaranteed by the statute shall not be changed except with the previous approval of the community ascertained in such manner as the Union Legislature may determine by law."
- He claimed that the UCC would "undo" the freedom of religion by giving the state the room to "break the guarantees given in article 19".
- He, however, stressed that any interference with personal laws should be "gradual and must progress with the advance of time" and must be done "with the consent of the people concerned"

❖ नज़ीरुद्दीन अहमद:

- बशर्ते कि किसी भी समुदाय का व्यक्तिगत कानून, जिसे क़ानून द्वारा गारंटी दी गई है, उस तरीके से समुदाय की पूर्व मंजूरी के अलावा नहीं बदला जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।
- उन्होंने दावा किया कि यूसीसी राज्य को "अनुच्छेद 19 (25) में दी गई गारंटी को तोड़ने" की छूट देकर धर्म की स्वतंत्रता को "पूर्ववत" कर देगा।
- हालाँकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत कानूनों में कोई भी हस्तक्षेप "धीरे-धीरे होना चाहिए और समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए" और "संबंधित लोगों की सहमति से" किया जाना चाहिए।

❖ Arguments in Support of UCC

❑ K M Munshi:

- He opposed the view that the UCC was tyrannical. He said that while the state must endeavour not to interfere in religious practice, certain matters should be governed by secular legislation, not religion.
- He pointed out that if matters like inheritance and succession were accepted under the umbrella of personal religious laws, then women would never be treated equally despite the fundamental right against discrimination. "Therefore, there is no reason why there should not be a civil code throughout the territory of India

❖ यूसीसी के समर्थन में तर्क

❑ केएम मुंशी:

- उन्होंने इस विचार का विरोध किया कि यूसीसी तानाशाही प्रवृति का है। उन्होंने कहा कि राज्य को धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप न करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों को धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए, न कि धर्म द्वारा।
- उन्होंने बताया कि यदि विरासत और उत्तराधिकार जैसे मामलों को व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों की छत्रछाया में स्वीकार किया जाता है, तो भेदभाव के खिलाफ मौलिक अधिकार के बावजूद महिलाओं के साथ कभी भी समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। "इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरे भारत में एक नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए

❖ Other Arguments:

❑ Alladi Krishnaswamy Iyer:

- He spoke against the notion that the UCC would cause discontent and disharmony. Instead, he said, the aim of the UCC was to achieve unity and amity by removing factors that contributed to differences between communities.

❑ Dr B R Ambedkar:

- He underlined the fact that uniform laws were in place for "almost every aspect of human relationship", barring the "little corner" of personal laws relating to marriage and succession, which the UCC is meant to address.
- He also said it was too late to argue whether the UCC should be implemented or not as, to a large extent, it had already been implemented.

❖ अन्य तर्क:

❑ अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:

- उन्होंने इस धारणा के खिलाफ बात की कि यूसीसी असंतोष और वैमनस्य पैदा करेगा। इसके बजाय, उन्होंने कहा, यूसीसी का उद्देश्य समुदायों के बीच मतभेदों में योगदान देने वाले कारकों को हटाकर एकता और सौहार्द हासिल करना था।

❑ डॉ बी आर अम्बेडकर:

- उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के "छोटे कोने" को छोड़कर, "मानवीय संबंधों के लगभग हर पहलू" के लिए समान कानून लागू थे, जिसे यूसीसी संबोधित करने के लिए है।
- उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर बहस करने में बहुत देर हो चुकी है कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि काफी हद तक इसे पहले ही लागू किया जा चुका है।

❖ Arguments in Favour in the present times:

- A common civil code will help the cause of national integration. (Allahabad High Court, 2021)
- Supreme Court in Shah Bano Case: Parliament should outline the contours of a common civil code as it is an instrument that facilitates national harmony and equality before law."
- ABC vs State of Delhi case 2015: Uniform Civil Code "remains an unaddressed constitutional expectation".
- Various personal laws are in contradiction to the Fundamental rights as well as the criminal law.
- Eg- Hindu marriage act recognises and makes the marriage of a 16 yr old girl valid, Muslim Law in India recognises marriage of minor who has attained puberty as valid.

❖ वर्तमान समय में पक्ष में तर्क:

- एक समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। (इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 2021)
- शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट: संसद को समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो राष्ट्रीय सद्भाव और कानून के समक्ष समानता की सुविधा प्रदान करता है।''
- एबीसी बनाम दिल्ली राज्य मामला 2015: समान नागरिक संहिता "एक अनसुलझी संवैधानिक अपेक्षा बनी हुई है"।
- विभिन्न व्यक्तिगत कानून मौलिक अधिकारों के साथ-साथ आपराधिक कानून के भी विरोधाभासी हैं।
- उदाहरण के लिए - हिंदू विवाह अधिनियम 16 वर्ष की लड़की के विवाह को मान्यता देता है और वैध बनाता है,
- भारत में मुस्लिम कानून यौवन प्राप्त कर चुके नाबालिग के विवाह को वैध मानता है।

❖ Arguments Against

- Cultural diversity cannot be compromised to the extent that our urge for uniformity itself becomes a reason for a threat to the territorial integrity of the nation. (21st Law Commission)
- The main argument against the UCC is that it violates the constitutional freedom to practice the religion of choice, which allows religious communities to follow their respective personal laws. For example, Article 25 gives every religious group the right to manage its own affairs, and Article 29 gives them the right to conserve their distinct culture.

❖ के खिलाफ तर्क

- सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता कि एकरूपता के लिए हमारा आग्रह ही राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरे का कारण बन जाए। (21 वाँ विधि आयोग)
- यूसीसी के खिलाफ मुख्य तर्क यह है कि यह पसंद के धर्म का पालन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है।

❖ Way Forward:

- The best way forward may be to preserve the diversity of personal laws but at the same time ensure that personal laws do not contradict fundamental rights guaranteed under the Constitution of India.
- In order to achieve this, it is desirable that all personal laws relating to matters of family must first be codified to the greatest extent possible, and the inequalities that have crept into codified law should be remedied by amendment

❖ आगे बढ़ने का रास्ता:

- आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत कानूनों की विविधता को संरक्षित करना हो सकता है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी कि व्यक्तिगत कानून भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का खंडन न करें।
- इसे प्राप्त करने के लिए, यह वांछनीय है कि परिवार के मामलों से संबंधित सभी व्यक्तिगत कानूनों को सबसे पहले संभव सीमा तक संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, और संहिताबद्ध कानून में जो असमानताएं आ गई हैं, उन्हें संशोधन द्वारा दूर किया जाना चाहिए।

❖ Blue Economy 2.0

- **Context: Government said: For promoting climate resilient activities for blue economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures, and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched.**

❑ What is Blue Economy?

- **European Commission: All economic activities related to oceans, seas and coasts. It covers a wide range of interlinked established and emerging sectors.**
- **World Bank: Blue economy is the "sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of ocean ecosystem."**

❖ नीली अर्थव्यवस्था 2.0

- संदर्भ: सरकार ने कहा: नीली अर्थव्यवस्था 2.0 के लिए जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, बहाली और अनुकूलन उपायों और एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी।

❑ नीली अर्थव्यवस्था क्या है?

- यूरोपीय आयोग: महासागरों, समुद्रों और तटों से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियाँ। इसमें परस्पर जुड़े स्थापित और उभरते क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- विश्व बैंक: नीली अर्थव्यवस्था "समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है।"

❖ Blue Economy Potential of India

- India has a vast coastline of 7500km, and its exclusive economic zones (EEZ) extend over 2.2 million square km.
- The country has 13 major ports and 187 non-major ports, handling about 1400 million tons of cargo every year, as 95 percent of India's trade by volume transits by sea.
- The coastal economy supports over 4 million fisher folk and coastal communities.
- The Government of India's Vision of New India by 2030 enunciated in February 2019 highlighted the Blue Economy as one of the ten core dimensions of growth.

❖ भारत की नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता

- भारत में 7500 किमी की विशाल तटरेखा है, और इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 2.2 मिलियन वर्ग किमी तक फैले हुए हैं।
- देश में 13 प्रमुख बंदरगाह और 187 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं, जो हर साल लगभग 1400 मिलियन टन माल संभालते हैं, क्योंकि मात्रा के हिसाब से भारत का 95 प्रतिशत व्यापार समुद्र के रास्ते होता है।
- तटीय अर्थव्यवस्था 4 मिलियन से अधिक मछुआरों और तटीय समुदायों का समर्थन करती है।
- फरवरी 2019 में घोषित भारत सरकार के 2030 तक नए भारत के दृष्टिकोण ने ब्लू इकोनॉमी को विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर किया।

❖ Recent Steps:

- **Deep Ocean Mission:** Launched in 2021, this initiative aims to explore the deep sea for mining and biodiversity conservation. It also aims to develop technologies like underwater robotics and manned submersibles to harness the resources of the deep ocean.
- **Draft Blue Economy policy framework:** This framework aims to use all sectors of the maritime domain for the sustainable development of coastal areas.
- **Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana:** This scheme aims for the sustainable development of fisheries in India.

❖ हाल के कदम:

- **डीप ओशन मिशन:** 2021 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य खनन और जैव विविधता संरक्षण के लिए गहरे समुद्र का पता लगाना है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों का दोहन करने के लिए अंडरवाटर रोबोटिक्स और मानवयुक्त सबमर्सिबल जैसी तकनीकों को विकसित करना भी है।
- **ब्लू इकोनॉमी नीति ढांचे का मसौदा:** इस ढांचे का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के सभी क्षेत्रों का उपयोग करना है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना :** इस योजना का लक्ष्य भारत में मत्स्य पालन का सतत विकास करना है।

❖ Indigenous CAR-T cell therapy

- The Indigenous CAR-T cell therapy has been administered to 15 patients in India. Three of them have successfully achieved cancer remission.
- NexCAR19, the indigenously developed therapy is a treatment for B-cell cancers (types of cancers that form in the immune system's cells) such as leukaemia and lymphoma.
- It has been developed collaboratively by ImmunoACT, a company incubated at the Indian Institute of Technology Bombay (IITB), IIT-B and Tata Memorial Hospital.
- The commercial use of this therapy was approved by the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) in October 2023.

- Currently, NexCAR19 is available in over 30 hospitals in more than 10 cities in India.
- Patients over the age of 15 years who suffer from B-cell cancers are eligible for this one-time therapy at these centres.
- As part of the therapy, the patient's T-cells (types of immune cells) are collected and genetically modified into potent cancer fighters known as CAR-T cells so that they express chimeric antigen receptors (CARs) specific to cancer cells.
- The modified CAR-T cells are then expanded in the laboratory before being infused back into the patient.
- Once in the body, these engineered cells recognise and attack cancer cells, with a focus on B-cell cancers, thus offering a targeted and potent immunotherapy.

❖ स्वदेशी सीएआर-टी सेल थेरेपी

- भारत में 15 मरीजों को स्वदेशी सीएआर-टी सेल थेरेपी दी गई है। उनमें से तीन ने कैंसर से सफलतापूर्वक मुक्ति पा ली है।
- **NexCAR19**, स्वदेशी रूप से विकसित थेरेपी बी-सेल कैंसर (प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में बनने वाले कैंसर के प्रकार) जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का इलाज है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी), आईआईटी-बी और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में स्थापित कंपनी **ImmunoACT** द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित किया गया है ।
- इस थेरेपी के व्यावसायिक उपयोग को अक्टूबर 2023 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा मंजूरी दी गई थी।

- वर्तमान में, NexCAR19 भारत के 10 से अधिक शहरों में 30 से अधिक अस्पतालों में उपलब्ध है।
- 15 वर्ष से अधिक आयु के मरीज़ जो बी-सेल कैंसर से पीड़ित हैं, इन केंद्रों पर इस एक बार की चिकित्सा के लिए पात्र हैं।
- थेरेपी के हिस्से के रूप में, रोगी की टी-कोशिकाओं (प्रतिरक्षा कोशिकाओं के प्रकार) को एकत्र किया जाता है और आनुवंशिक रूप से शक्तिशाली कैंसर सेनानियों में संशोधित किया जाता है जिन्हें सीएआर-टी कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं के लिए विशिष्ट काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (सीएआर) को व्यक्त कर सकें।
- संशोधित सीएआर-टी कोशिकाओं को रोगी में वापस डालने से पहले प्रयोगशाला में विस्तारित किया जाता है।
- एक बार शरीर में, ये इंजीनियर कोशिकाएं बी-सेल कैंसर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैंसर कोशिकाओं को पहचानती हैं और उन पर हमला करती हैं, इस प्रकार एक लक्षित और शक्तिशाली इम्यूनोथेरेपी की पेशकश करती हैं।

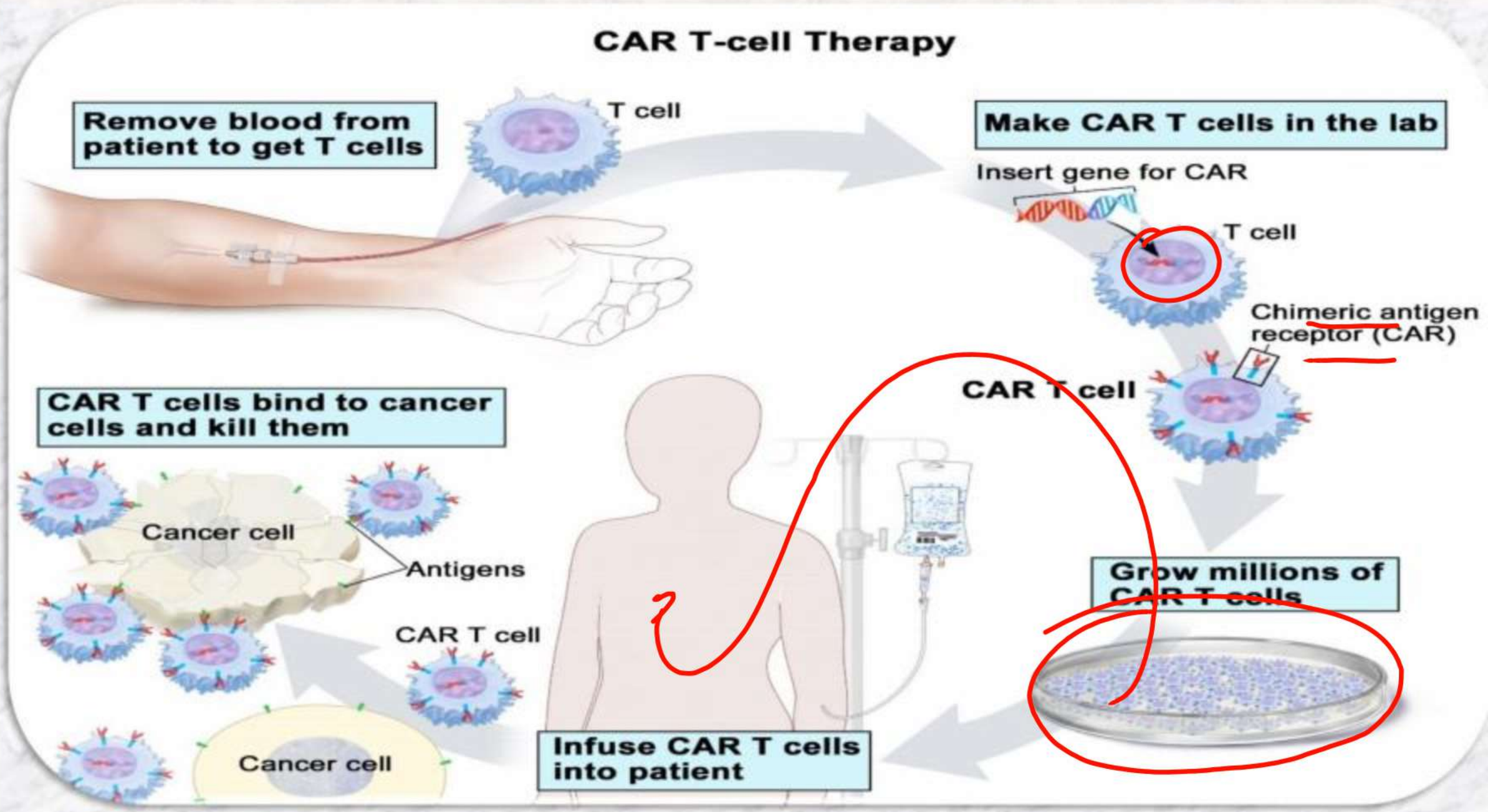
CAR T-cell Therapy
Remove blood from patient to get T cells
T cell
Make CAR T cells in the lab
Insert gene for CAR
T cell
Chimeric antigen receptor (CAR)
CAR T cell
CAR T cells bind to cancer cells and kill them
Cancer cell
Antigens
CAR T cell
Cancer cell
Grow millions of CAR T cells
Infuse CAR T cells into patient

❖ Five Wetlands Added in Ramsar Sites

- Five more Indian wetlands have been added to the global list of wetlands of international importance under the Ramsar Convention, taking the total number of such highly recognised waterlogged ecosystems in the country to 80
- Of the five wetlands added to the Ramsar list, Magadi Kere Conservation Reserve, Ankasamudra Bird Conservation Reserve, and Aghanashini Estuary are in Karnataka and Karaivetti Bird Sanctuary and Longwood Shola Reserve Forest are in Tamil Nadu.

❖ रामसर स्थलों में पाँच आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गईं

- रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में पांच और भारतीय आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है, जिससे देश में ऐसे अत्यधिक मान्यता प्राप्त जल-जमाव वाले पारिस्थितिक तंत्रों की कुल संख्या 80 हो गई है।
- रामसर सूची में जोड़े गए पांच आर्द्रभूमियों में से, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, और अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक में हैं और कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में हैं।

ABIAN SEA
Magadi Kere Conservation Reserve
Ankasamudra Bird Conservation Reserve
Aghanashini Estuary
KARNATAKA
BAY OF BENGAL
TAMIL NADU
Longwood Shola Reserve Forest
Karaivetti Bird Sanctuary

❖ What are wetlands?

❑ Ramsar Convention Defines wetlands as:

- Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters"

❖ आर्द्रभूमियाँ क्या हैं?

❑ रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि को इस प्रकार परिभाषित करता है:

➢ दलदल, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर पानी या बहता हुआ, ताजा, खारा या नमकीन है, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं जिनकी गहराई कम ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती है "

❖ Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change define wetlands as

- "area of marsh, fen, peatland or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters,
- but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/ tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purposes."

❖ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आर्द्रभूमि को इस प्रकार परिभाषित करता है

- दलदल, पीटलैंड या पानी का क्षेत्र; चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, ऐसा पानी जो स्थिर हो या बहता हो, ताजा हो, खारा हो या खारा हो, इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं जिनकी गहराई कम ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती है,
- नदी धान के खेत , मानव निर्मित जल निकाय/ टैंक जो विशेष रूप से पीने के पानी के प्रयोजनों के लिए बनाए गए हैं और विशेष रूप से जलीय कृषि, नमक उत्पादन, मनोरंजन और सिंचाई उद्देश्यों के लिए निर्मित संरचनाएं शामिल नहीं हैं ।

❖ Ramsar Convention

- The Ramsar Convention, signed on February 2, 1971 at the small town of Ramsar, is one of the oldest inter-governmental accords signed to preserve the ecological character of wetlands of international importance in the signatory countries.
- 171 Member countries including India
- It is not a regulatory regime, rather it suggests policy measures
- India has 80 Ramsar sites as of Feb 2024
- It has the SECOND highest number of wetlands in South Asia. (China 82, Japan 53)

❖ रामसर कन्वेंशन

- 2 फरवरी, 1971 को रामसर के छोटे से शहर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन, हस्ताक्षरकर्ता देशों में अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए हस्ताक्षरित सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौतों में से एक है।
- भारत सहित 171 सदस्य देश
- यह कोई नियामक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह नीतिगत उपाय सुझाती है
- फरवरी 2024 तक भारत में 80 रामसर साइटें हैं
- (चीन 82, जापान 53)

❖ Species in News: Dusted Apollo

- **Context:** Dusted Apollo (Parnassius stenosemus), a rare high-altitude butterfly has been sighted and photographed for the first time in Himachal Pradesh, indicating the flourishing diversity of Apollo butterflies in the region
- The distribution range of Dusted Apollo extends from Ladakh to West Nepal and it flies between 3,500 to 4,800 meters in the inner Himalayas.
- Dusted Apollo is extremely rare and has never been photographed before in Himachal Pradesh.

- Apollos are considered commercially important butterflies and they fetch high prices in the poaching industry.
- There are 11 Apollo species recorded from Himachal Pradesh and five of them are declared as Scheduled species.
- Most of the Apollo butterflies are now endangered and need immediate attention for their conservation and protection

❖ समाचार में प्रजातियाँ: डस्टेड अपोलो

- **संदर्भ:** डस्टेड अपोलो (पारनासियस स्टेनोसेमस), एक दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाली तितली को पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है और उसकी तस्वीरें खींची गई हैं, जो इस क्षेत्र में अपोलो तितलियों की समृद्ध विविधता का संकेत देती है।
- डस्टेड अपोलो की वितरण सीमा लद्दाख से पश्चिम नेपाल तक फैली हुई है और यह आंतरिक हिमालय में 3,500 से 4,800 मीटर के बीच उड़ान भरती है।
- डस्टेड अपोलो अत्यंत दुर्लभ है और इसकी हिमाचल प्रदेश में पहले कभी तस्वीर नहीं ली गई है।
- अपोलोस को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण तितलियाँ माना जाता है और अवैध शिकार उद्योग में उन्हें ऊँची कीमत मिलती है।
- हिमाचल प्रदेश से 11 अपोलो प्रजातियाँ दर्ज हैं और उनमें से पाँच को अनुसूचित प्रजाति घोषित किया गया है।
- अधिकांश अपोलो तितलियाँ अब लुप्तप्राय हैं और उनके संरक्षण और सुरक्षा पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है

❖ Paytm Payment Bank

- **Context:** The RBI last week ordered Paytm Payments Bank Ltd to not take any further deposits or conduct credit transactions or carry out top-ups on any customers accounts, prepaid instruments, wallets, cards for paying road tolls after February 29.

❑ Why did it say so?

- The RBI cited persistent non-compliance on PPBL's part and supervisory concerns. PPBL, which processes transactions for Paytm, must stop its banking activities after February 29

❑ What are payment Banks?

- Based on the recommendations of the Nachiket Mor Committee, Payments Bank was set up to operate on a smaller scale with minimal credit risk.

❖ पेटीएम पेमेंट बैंक

➢ **संदर्भ:** आरबीआई ने पिछले हफ्ते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, कार्ड पर कोई और जमा नहीं लेने या क्रेडिट लेनदेन नहीं करने या टॉप-अप नहीं करने का आदेश दिया।

❑ ऐसा क्यों कहा?

➢ आरबीआई ने पीपीबीएल की ओर से लगातार गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला दिया। पीपीबीएल, जो पेटीएम के लिए लेनदेन की प्रक्रिया करता है, को 29 फरवरी के बाद अपनी बैंकिंग गतिविधियां बंद करनी होंगी

❑ भुगतान बैंक क्या हैं?

➢ नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर, न्यूनतम क्रेडिट जोखिम के साथ छोटे पैमाने पर काम करने के लिए पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई थी।

❖ पेटीएम पेमेंट बैंक

- मुख्य उद्देश्य बैंक रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, प्रवासी श्रम बल, कम आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमियों आदि की मदद करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है।
- भारत में वर्तमान में 6 पेमेंट बैंक हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक।

- **गतिविधियाँ जो भुगतान बैंकों द्वारा की जा सकती हैं**
- भुगतान बैंक रुपये तक की जमा राशि ले सकते हैं। 2,00,000. यह बचत और चालू खाते के रूप में मांग जमा स्वीकार कर सकता है।
- जमा के रूप में प्राप्त धन को केवल वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रूप में सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। यह मांग जमा शेष का 75% होना चाहिए।
- शेष 25% अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में रखा जाना है।
- भुगतान बैंकों को व्यक्तिगत भुगतान करने और चालू खातों पर सीमा पार प्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
- यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है

- **वे गतिविधियाँ जो भुगतान बैंकों द्वारा नहीं की जा सकतीं**
- भुगतान बैंकों को आरबीआई से 'विभेदित' बैंक लाइसेंस प्राप्त होता है और इसलिए वे उधार नहीं दे सकते।
- पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते.
- यह सावधि जमा या एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकता।
- यह ऋण जारी नहीं कर सकता.
- यह गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को चलाने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकता है।

❖ Humboldt's Enigma

- ❖ Humboldt's Enigma is a concept proposed by Alexander von Humboldt that explores the relationship between temperature, altitude, humidity, and biodiversity
- ❖ Humboldt's Enigma suggests that biodiversity isn't limited to the Earth's tropical regions.
- ❖ It proposes that other regions, such as mountainous areas, also have significant biodiversity.
- ❖ Humboldt's Enigma is based on observations that disprove the common belief that biodiversity is highest in the tropics.

❖ हम्बोल्ट की पहेली

- ❖ हम्बोल्ट की पहेली अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है जो तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता और जैव विविधता के बीच संबंधों का पता लगाती है।
- ❖ हम्बोल्ट की पहेली बताती है कि जैव विविधता पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
- ❖ इसका प्रस्ताव है कि अन्य क्षेत्रों, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण जैव विविधता है।
- ❖ हम्बोल्ट की पहेली उन टिप्पणियों पर आधारित है जो इस आम धारणा को खारिज करती है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक है।

- Mountains contribute disproportionately to the terrestrial biodiversity of Earth, especially in the tropics, where they host hotspots of extraordinary and puzzling richness.
- With about 25% of all land area, mountain regions are home to more than 85% of the world's species of amphibians, birds, and mammals, many entirely restricted to mountains.

- पर्वत पृथ्वी की स्थलीय जैव विविधता में असमान रूप से योगदान करते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहां वे असाधारण और रहस्यमय समृद्धि के हॉटस्पॉट की मेजबानी करते हैं।
- संपूर्ण भूमि क्षेत्र के लगभग 25% के साथ, पर्वतीय क्षेत्र दुनिया की 85% से अधिक उभयचरों, पक्षियों और स्तनधारियों की प्रजातियों का घर हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से पहाड़ों तक ही सीमित हैं।

- **Why do Mountains have higher Biodiversity?**
- First: geological processes, like uplifts, result in new habitats where new species arise, so the habitats are 'cradles'.
- Second: species on some climatologically stable mountains persist there for a long time, so these spots are 'museums' that accumulate many such species over time
- Another critical force in biodiversity formation is geology. The foundations on which mountains are erected often differ from those on which low-elevation regions rest. Scientists have found that the more heterogeneous the geological composition of mountains is, the more biodiverse they are.

- **पर्वतों में जैव विविधता अधिक क्यों होती है?**
- पहला: भूगर्भिक प्रक्रियाएं, जैसे उत्थान, नए आवासों में परिणत होती हैं जहां नई प्रजातियां पैदा होती हैं, इसलिए आवास 'पालने' हैं।
- दूसरा: कुछ जलवायु संबंधी स्थिर पहाड़ों पर प्रजातियां लंबे समय तक वहां बनी रहती हैं, इसलिए ये स्थान 'संग्रहालय' हैं जो समय के साथ ऐसी कई प्रजातियों को जमा करते हैं
- जैव विविधता निर्माण में एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति भूविज्ञान है। जिन नींवों पर पहाड़ खड़े किए जाते हैं वे अक्सर उन नींवों से भिन्न होती हैं जिन पर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र टिके होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पहाड़ों की भूवैज्ञानिक संरचना जितनी अधिक विषम है, वे उतने ही अधिक जैव विविधता वाले हैं।

❖ Kaladan Multi-Modal Project

❖ **Context: The Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMTTP) has "almost died" after the rebel Arakan Army (AA) captured the Paletwa township near Mizoram border in January**

❖ कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट

❖ संदर्भ: जनवरी में मिजोरम सीमा के पास पलेतवा टाउनशिप पर विद्रोही अराकान सेना (एए) द्वारा कब्जा करने के बाद कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) "लगभग समाप्त" हो गया है।

West Bengal
BANGLADESH
Mizoram
Haora
Kolkata
Indo-Myanmar border
Highway 129km
in Myanmar
Kaletwa
Paletwa
MYANMAR
Sea route
539 km
158 km
River Kalandan
Bay of Bengal
Sittwe

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING